

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकला जिला शाहपुरा (राज.)

प्रकरण संख्या - 24/2024

पीतासीन अधिकारी - राजकेश मीना (आर.ए.एस.)

उपनाम

1 रामकरण पिता लालू माली उमा वयरक निवासी फूलियाकला तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा (प्रार्थीगण)

वनाम

- 1 भेरू पिता रुमनाथ माली उमा वयरक निवासी फूलियाकला तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
- 2 भामनन्द पिता कालू माली उमा वयरक निवासी फूलियाकला तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
- 3 कलू पिता राजू माली उमा वयरक निवासी फूलियाकला तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
- 4 गोपाल पिता मोहन माली उमा वयरक निवासी फूलियाकला तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
- 5 खाना पिता मोहन माली उमा वयरक निवासी फूलियाकला तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
- 6 देवकरण पिता माधू माली उमा वयरक निवासी फूलियाकला तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
- 7 राम विकारा अधिकारी वाम पनायत फूलियाकला तहसील फूलियाकला
- 8 भूमिधारी तहसीलदार फूलियाकला जिला शाहपुरा

(अप्रार्थीगण)

उपस्थित-

प्राथी अधिवक्ता - श्री कल्याणमल साकंड

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढी आराजीयात

निर्णय

दिनांक - 15.03.2024

प्राथी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय में दिनांक 25.01.2024 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम फूलियाकला पटवार मण्डल फूलियाकला भू.अ.नि. फूलियाकला तहसील फूलियाकला में उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 1037 के आ.न. 2952, 2953, 2954, 2955 किता 4 रकबा 0.64 हैक्टर, भूमि स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीयण पडोसीगण/सहखातेदारान है। प्राथी एव विपक्षीयण के मध्य आराजीयात के सीमा विह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिससे कि प्राथी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में दिनांक 25.01.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीयणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीयणों को जारी नोटिस वाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। किन्तु सूचित होने के उपरान्त भी विपक्षीयण नियत सुनवाई पर वास्ते अपना पक्ष रखने, तजिर नही होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्राथीगण को सुना गया। प्रस्तुत बहरा प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि प्राथी के खाते की कृषि भूमि है और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का हकदार है। अतः प्रार्थनापत्र प्राथी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

प्राथी का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीयण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम फूलियाकला पटवार मण्डल फूलियाकला भू.अ.नि. फूलियाकला तहसील फूलियाकला में उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 1037 के आ.न. 2952, 2953, 2954, 2955 किता 4 रकबा 0.64 हैक्टर, भूमि की पत्थरगढी बसामालात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक फूलियाकला को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्राथी द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पडोसियान को उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एव तिथि बाबत सूचित करेगा। मौके पर विवाद होने, किसी अन्य न्यायालय से आराजीयात पर रथगन होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावे। मुस्तकीन विन्दू को आधार मानकर पत्थरगढी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फूलियाकला को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेंन अपना अपना वहन करे। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 15.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकेश मीना)  
उपखण्ड अधिकारी,  
फूलियाकला, जिला शाहपुरा